इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 172]   भोपाल, गुरुवार, दिनांक 7 अप्रैल 2016—चैत्र 18, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2016

सूचना

क्र. डी-15-16-16-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम, 2000 में संशोधन का जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 79 की उपधारा (2) के खण्ड (इक्कईस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना प्रस्तावित करती है, निम्नलिखित प्रारूप, उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और, एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि संशोधन के उक्त प्रारूप पर, इस सूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन की तारीख से एक मास का अवसान होने तक विचार किया जायेगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने तक या उसके पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा:—

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में—

(1) अध्याय—तीन, नियम 10 के उपनियम (4) में शब्द ''मंडी समितियों द्वारा संधारित आरक्षित निधि की एक तिहाई रकम,'' के स्थान पर निम्नानुसार शब्द प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

''मण्डी समितियों द्वारा संधारित आरक्षित निधि की तीन चौथाई रकम''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2016

क्र. डी-15-16-2016-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 7th April 2016

NOTICE

No. D-15-16-2016-XIV-3.—The following draft of amendments in the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Rajya Vipnan Vikas Nidhi) Rules, 2000 which the State Government propose to make in exercise of powers conferred by clause (xxi) of sub-section (2) of Section 79 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), is hereby published as required by sub-section (1) of the said Section for information of all persons likely to be affected thereby and Notice is hereby given that the said draft of amendments will be taken into consideration till the expiry of one month from the date of publication of this Notice in the "Madhya Pradesh Gazette".

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules—

(1) In Chapter-III, Rule 10 and sub rule (4) in place of words "One third amount of Reserve fund" the following words shall be substituted, namely:—

"three fourth amount of Reserve fund".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY GUPTA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.